संख्या-02/2023/1487/001-23-10-22-53(सामान्य)-1/2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 05 जनवरी 2023**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रयागराज क्षेत्र के जनपद प्रयागराज के 01 चालू सेतु के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-2398/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/पी0आर0जे0/2022-23 दिनांक 08.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रयागराज क्षेत्र के जनपद प्रयागराज के 01 चालू सेतु के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्यों के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित लागत कुल धनराशि रू0 8.01 लाख (रूपये आठ लाख एक हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 022-23 म आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रयागराज	नि0ख0-4 कु0मे0 प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में आर0ए0एफ0 रेलवे क्रासिंगसे निकलकर सोरावं (फाफाम ऊ शन्तिपुरम) मार्ग पर किमी0 1 (चैनेज 0.340 किमी0) में लघु सेतु एवं पहुंचमार्ग के निर्माण कार्य	70.01	31.81	38.20	3.40	26.79	8.01	6.31	1.70	8.01
			योग -	70.01	31.81	38.20	3.40	26.79	8.01	6.31	1.70	8.01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अवमुक्त कुल धनराशि रू0 8.01 लाख (रूपये आठ लाख एक हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) **उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।**

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय** (1) **रुपये** 6,31,000 (**रुपये छः लाख इकतीस हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 057 **लेखाशीर्षक** 5054041010421 **कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य** (**चालू योजना**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य** (2) **रुपये** 1,70,000 (**रुपये एक लाख सत्तर हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-यक मे अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 **कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण** (**चालू कार्य**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- **यह आदेश वित्त** (**आय-व्ययक**) **अनुभाग**-1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या**-13/2022/**बी**-1-454/**दस**-2022-231/2022, **दिनांक**-07 **जून**, 2022 **मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-02/2023/1487/001-23-10-22-53(सामान्य)-1/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) **महालेखाकार** (**लेखा एवं हकदारी**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**
(2) **महालेखाकार** (**लेखा-परीक्षा**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**
(3) **संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।**
(4) **संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।**
(5) **मुख्य अभियंता** (**सेतु**), **लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।**
(6) **वित्त** (**व्यय-नियंत्रण**) **अनुभाग**-8।
(7) **राज्य योजना आयोग अनुभाग**-1/2 ।
(8) **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in